



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1036

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19442 वर्ष 2025

रत्नेश कुमारी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता : अर्चना सिंह, ब्रम्ह नारायण सिंह

प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.एन.एस. राठौर और राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि पुलिस विभाग में कार्यरत रिट याचिकाकर्ता के पिता का 25.02.2024 को निधन हो गया और रिट याचिकाकर्ता की माता का भी उससे पहले 30.11.2021 को निधन हो गया। रिट याचिकाकर्ता तलाकशुदा है और वह पूरी तरह से अपने पिता पर निर्भर है।
3. इस रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को रिट याचिकाकर्ता के पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निस्तारण सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किया जाना चाहिए।
5. अधिवक्ताओं की ओर से ऐसे निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण किया गया, रिट याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत करे, जो उक्त प्रस्ताव पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा। यदि प्रतिवादी संख्या 2

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को लगता है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो रिट याचिकाकर्ता को उचित सूचना देने के बाद कागजात उस प्राधिकारी को भेजे जाएंगे।

6 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।